

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 6

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	142.16	24.61	166.77	273.39	24.61	298.00	249.84	384.87	634.71	199.65	...	199.65
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	142.16	24.61	166.77	273.39	24.61	298.00	249.84	384.87	634.71	199.65	...	199.65
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	17.07	...	17.07	20.41	...	20.41	20.00	...	20.00	21.68	...	21.68
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. असम गैस क्रैकर परियोजना	100.01	...	100.01	100.01	...	100.01	0.01	...	0.01
3. रसायन उन्नयन और विकास स्कीम	1.27	...	1.27	1.99	...	1.99	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
4. पेट्रो केमिकल्स का उन्नयन	33.84	...	33.84	48.00	...	48.00	26.51	...	26.51	55.50	...	55.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	35.11	...	35.11	150.00	...	150.00	128.52	...	128.52	58.51	...	58.51
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
5. भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सहायता	23.42	...	23.42	25.74	...	25.74	25.74	...	25.74	28.32	...	28.32
स्वायत्त निकाय												
6. केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान	57.67	...	57.67	68.08	...	68.08	68.08	...	68.08	83.64	...	83.64
7. कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)	8.89	...	8.89	9.16	...	9.16	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50
जोड़-स्वायत्त निकाय	66.56	...	66.56	77.24	...	77.24	75.58	...	75.58	91.14	...	91.14
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
8. हिंदुस्तान जैव रसायन लिमिटेड(एचओसीएल)	...	24.61	24.61	...	24.61	24.61	...	384.87	384.87
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	89.98	24.61	114.59	102.98	24.61	127.59	101.32	384.87	486.19	119.46	...	119.46
कुल जोड़	142.16	24.61	166.77	273.39	24.61	298.00	249.84	384.87	634.71	199.65	...	199.65

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. योजना परिव्यय												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	125.09	...	125.09	223.18	...	223.18	202.44	...	202.44	158.07	...	158.07
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	17.07	...	17.07	20.41	...	20.41	20.00	...	20.00	21.68	...	21.68
3. रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	...	24.61	24.61	...	24.61	24.61	...	384.87	384.87
जोड़-आर्थिक सेवाएं	142.16	24.61	166.77	243.59	24.61	268.20	222.44	384.87	607.31	179.75	...	179.75
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	29.80	...	29.80	27.40	...	27.40	19.90	...	19.90
जोड़-अन्य	29.80	...	29.80	27.40	...	27.40	19.90	...	19.90
कुल जोड़	142.16	24.61	166.77	273.39	24.61	298.00	249.84	384.87	634.71	199.65	...	199.65

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	24.61	...	24.61	24.61	...	24.61	384.87	...	384.87
जोड़	24.61	...	24.61	24.61	...	24.61	384.87	...	384.87

- सचिवालय:** प्रावधान विभाग के सचिवालय खर्च के लिए है।
- असम गैस क्रैकर परियोजना:** टोकन प्रावधान इंगित किया गया है।
- रसायन उन्नयन और विकास स्कीम:** रासायनिक संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) के तहत प्रावधान विभिन्न सेमिनार, अध्ययन, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के आयोजन के द्वारा रसायनों के संवर्धन के लिए और पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी नवीनताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है।
- पेट्रो केमिकल्स का उन्नयन:** यह प्रावधान पेट्रोरसायन की योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए है अर्थात् पेट्रोरसायन के क्षेत्र में समर्पित प्लास्टिक पार्क स्थापित करना और पॉलिमर टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना करने के लिए है।
- भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सहायता:** यह प्रावधान है (i) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के लिए अनुग्रह राशि का संवितरण (ii) कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल के लिए सचिवालयी व्यय (iii) पीड़ितों को मुआवजे के मामलों का निर्णय करने के लिए स्थापित विभिन्न न्यायालयों के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।
- केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान:** यह प्रावधान शैक्षणिक कार्यकलापों और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा प्रौद्योगिकी सहायता के लिए है।

7. **कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी):** यह प्रावधान नए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को शुरू करने तथा उपकरणों के उन्नयन, खरीद तथा साथ ही शोध छात्रों के लिए पारिश्रमिक और कर्मचारियों के वेतन के लिए है।

8. **हिंदुस्तान जैव रसायन लिमिटेड(एचओसीएल):** यह सं.अ. प्रावधान हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड द्वारा इसके द्वारा प्राप्त सॉल्वरेन गारंटी के एवज में जारी बांडों के ब्याज घटक के शोधन के लिए है।